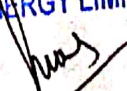


(वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-11-268/2014 F.C. दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या)

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. नयारा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग किमी० चैनेज ०९ दांयी पटरी पर खसरा नं० १७६ ग्राम-हरदुआगंज, तह० कोल जनपद, अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली ०.०७८३ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग की मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी २२.८६ मी० है तथा सम्पर्क मार्गों तथा मध्य का क्षेत्रफल ०.०७८३ हे० है जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप है तथा यह मार्ग लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के अधीन है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट नयारा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग किमी० चैनेज ०९ दांयी पटरी पर खसरा नं० १७६ ग्राम-हरदुआगंज तह० कोल जनपद अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर प्रवेश एवं निकास मार्ग पर ०१ बाधक वृक्ष का पातन प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेंट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चीड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
6. नयारा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प की दीवार से १ से १.५ मी० के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत स्वीकृति जारी होने के पश्चात् नयारा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा कैम्प मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

नयारा एनर्जी लिमिटेड
(एस्सार ऑयल लिमिटेड)
For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory